# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची

विविध वाद सं० 26/2011-12 (एरी.टी.आर संख्या- 01/23-24)

श्री वरूण कुमार पाण्डेय

बनाम्

आशा देवी

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद भूमि सुधार उप सहार्त्ता, सदर, राँची के पत्रांक–1564, दिनांक–15.04.2023 के द्वारा प्राप्त है। अभिलेख का अवलोकन किया। पूर्व में संधारित वाद सं०–62/1996–97 में अंचल अधिकारी, शहर के प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राँची के अनुशंसा के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर के द्वारा मौजा– कोनका, थाना नं०–198, एम०एस० प्लॉट नं०– 1466, रकबा– 12 कट्ठा 15 छटाक 40 वर्गफीट भूमि की जमाबंदी रदद् की गई थी। श्रीमति आशा देवी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CJWC वाद सं० 421/1997 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आशा देवी का पक्ष सुनते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में यह वाद 26/2011–12 संधारित किया गया है। जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। जिसके पश्चात् दिनांक 14.06.2013 को आशा देवी उपस्थित हुई और उनके द्वारा समय की मांग की गई। तत्पश्चात् आशा देवी के द्वारा न तो उपस्थिति दर्ज कराई गई और ना ही अपना लिखित पक्ष दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आशा देवी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। परन्तु उनके द्वारा उक्त भूमि से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और ना हीं अपना पक्ष रखा गया। विविध वाद सं०–62/1995–96 में तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर के प्रतिवेदन एवं वर्तमान अंचल अधिकारी, शहर के पत्रांक 338(ii), दिनांक 12.04.2023 के समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा– कोनका, थाना नं०–198, एम०एस० प्लॉट नं०– 1466, रकबा– 12 कट्ठा 15 छटाक 40 वर्गफीट भूमि खास महाल की भूमि है जो लीज पर 25 वर्षो के लिए दिया गया था। तथा लीज में दिये गये शर्तो के अनुरूप लीजधारी के द्वारा सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लिये बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया है। लीजधारी द्वारा लीज शर्तो का उल्लंधन करते हुए लीज भूमि को बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के श्रीमति आशा देवी के द्वारा बिक्री की गई है जो नियमसंगत नहीं है एवं उक्त बिक्री विलेख आधार पर अंचल अधिकारी, द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०–103 R27/1992–93 के द्वारा कायम जमाबंदी भी नियमसंगत नहीं हैं।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, राँची द्वारा तत्कालीन एवं वर्तमान अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं, पूर्व में वाद सं०–62/1996–97 पारित आदेश तथा राजस्व कागजातों के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं०– 103 R27/1992–93 द्वारा श्रीमति आशा देवी के नाम से चल रही जमाबंदी को रदद् करने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचलाधिकारी सदर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, रांची के अनुशंसा के आलोक में पूर्व में वाद सं० 62/1996-97 पारित आदेश तथा राजस्व कागजातों के आधार पर [illegible] वाद सं० 164 R27/1992-93 द्वारा [illegible] आशा देवी के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द की जाती है। अनुमोदन हेतु अभिलेख उपायुक्त, रांची को भेजें।

लेखापित / संशोधित

13/4/23
अपर समाहर्ता,
रांची।

13/4/23
अपर समाहर्ता,
रांची।

अनुमोदित

/2023
उपायुक्त,
रांची।

ज्ञापांक : 2594(ii)/रा० दिनांक: 11/5/2023

प्रतिलिपि : उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रांची को सूचनार्थ एवं अभिलेख सं० - 26/11-12 (श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय बनाम आशा देवी) को मूल में भेजते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी सदर, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

11/5/23
अपर समाहर्ता
रांची।

11/5/23

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 17:25:56 +05:30
Location: 192.168.2.175